न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

प्री इम्पशन अपील वाद सं0–02 / 16–17
साजेदा बीबी बनाम कोहेनुर बीबी

आदेश

आदेश क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह अपीलवाद साजेदा बीबी, पति–हसन अली, सा0–फतेहपुर, थाना–पाकुड़ (मु0), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के प्री–इम्पशन वाद सं0–02 / 15–16 में दिनांक–18.05.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) कोहेनुर बीबी, पति–रफीजुद्दीन, सा0–पृथ्वीनगर, थाना–पाकुड़ (मु0), जिला–पाकुड़ एवं (2) अनारूद्दीन शेख, पिता–अकलेश शेख (3) मुस्ताक अली, पिता–समसुल हक (4) अफरातुन बीबी, पति–मुस्ताक अली तीनों का सा0–रहसपुर, थाना–पाकुड़ (मु0), जिला–पाकुड़, (5) जमेला बीबी, पति–याकुब शेख, सा0–तारानगर, थाना–पाकुड़ (मु0), जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। सुनवाई के क्रम में साजेदा बीबी एवं मुस्ताक शेख अली के द्वारा संयुक्त सुलहनामा आवेदन **(Joint Compromise Petition)** दाखिल कर कहा गया कि मामले को कोर्ट के बाहर आपस में समझौता कर सेटल कर लिया गया है। उनके द्वारा वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया। दाखिल **Joint Compromise Petition** के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **Joint Compromise Petition** में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी केवल संबंधित पक्षकारों की होगी एवं इसे लागू कराने का इस न्यायालय को कोई दायित्व नहीं होगा। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन करा दें। अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित । अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। 7.8.22	

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.01.12 13:22:01 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:ce1:c725:3557:aafb